राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांक प. 33(2)गृह-9/2010 पार्ट   जयपुर, दिनांक 22.09.2020

आदेश

विषय अनलॉक-4 क्रियान्वयन समसंख्यक आदेश दिनांक 30.08.2020 में द्वितीय संशोधन।

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 30.08.2020 द्वारा अनलॉक-4 के क्रियान्वयन हेतु गाईडलाईन्स जारी की गई। राज्य सरकार द्वारा राज्य में कोविड संक्रमितों की संख्या में हुई वृद्धि के मद्देनजर, कोविड संक्रमण एवं कोविड महामारी के प्रसार की रोकथाम हेतु लोगो के एकत्रित होने एवं भीड़ को प्रतिबंधित करने हेतु निर्णय लिया जाकर समसंख्यक आदेश दिनांक 20.09.2020 से संशोधित गाईडलाईन्स जारी की गई थी।

संशोधित आदेश दिनांक 20.09.2020 के द्वारा जारी गाईडलाईन्स के भाग-बी नकारात्मक सूची/निषिद्ध गतिविधियों के संबंध में जारी गाईडलाईन्स में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है-

यदि किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में **पूर्व में आवेदन कर कार्यक्रम की बैठक व्यवस्था प्लान (Seating Plan) प्रस्तुत किया जाता है तो जिला मजिस्ट्रेट स्वयं का समाधान होने पर** ऐसे कार्यक्रम के आयोजन के लिए निम्न शर्तो के अध्यधीन अनुमति प्रदान कर सकेंगे:-

1. आयोजन में भाग लेने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 100 से अधिक नहीं होगी।
2. सामाजिक दूरी (Social Distancing) की पालना सुनिश्चित की जायेगी।
3. फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नो-मास्क नो-एंट्री की पालना सुनिश्चित की जायेगी।
4. आयोजनकर्ता को आयोजन स्थल पर थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश एवं सेनेटाईजर की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।
5. बार-बार सम्पर्क में आने वाले स्थानों यथा रेलिंग, दरवाजे के हैण्डल, कॉमन सरफेस, फर्श आदि को निरंतर सेनेटाईज कराना आवश्यक होगा।

Scanned with CamScanner

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन अपराध है और भारी जुर्माने के साथ दंडनीय है।

उपर वर्णित सामान्य सुरक्षा सावधानियों की क्रियान्विति आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 और राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 में वर्णित जुर्मानों एवं दण्ड कार्यवाही के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट तथा अन्य अधिकृत अधिकारियों द्वारा कराई जायेगी।

जिन जिला मुख्यालयों पर धारा 144 Cr.P.C. के तहत आदेश जारी किये हुए हैं, उनमें उपरोक्तानुसार संशोधन किया जाये।

(अभय कुमार)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा।
4. विशिष्ट सहायक/निजी सहायक, सभी माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
8. महानिदेशक जेल/होमगार्ड।
9. सभी विभागाध्यक्ष।
10. समस्त संभागीय आयुक्त।
11. समस्त कलेक्टर्स।
12. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
13. महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
14. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, जयपुर / जोधपुर ।
15. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
16. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / जिला परिवहन अधिकारी।
17. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु ।

22/3/2020
(एन. एल. मीना)
शासन सचिव, गृह

Scanned with CamScanner